कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

//अनापत्ति प्रमाणपत्र//

क्रमांक /1430/भू.अ./रा.नि.व.लो./2017 राजनांदगांव,दिनांक 18/05/2017

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमर्ग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र 01, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.) का ज्ञापन क्र. /467/शिल्प/कॉरीडोर–10/930 रायपुर दिनांक 08.02.2017 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरूर–झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य जो जिला राजनांदगांव के तहसील मोहला मानपुर के राजस्व ग्राम माटकसा, चन्दनबिहरी, शेरपार, बिटेझर, अंगारा, पैंधुर, कोसमी, मुरारगोटा, खड़गांव, भटगांव, बोरिया मोकासा, बोरिया ठेकेदारी, हिलचुर, कमानसूर, अड़जाल, कहडबरी, भर्रीटोला, कहगांव, ईरागांव, जबकसा, तुमड़ीकसा, मानपुर, खैरकट्टा, कोरकोट्टी, कांड़े, खेड़ेगांव, कोहका तक बनाया जाना प्रस्तावित है। निम्नांकित अनुसूची–1 में अंकित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किए जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

––::अनुसूची::––

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	ख.नं.	गैर वानिकी उपयोग हेतु आवश्यक प्रस्तावित रकबा (हे.में)	मद
1	2	3	4	5	6	7
1	राजनांदगांव	मोहला	बिटेझर	212	0.091 हे.	छोटे झाड़ के जंगल व घास

उपरोक्त अनुसूची–1 में उल्लेखित आवेदित राजस्व वन भूमि में से कॉलम 6 में अंकित रकबा को लोकहित में शासकीय प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरूर–झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला राजनांदगांव

पृ. कमांक 1431/भू.अ./रा.नि.व.लो./2017 राजनांदगांव, दिनांक 18/05/2017

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंधन) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक छ.ग. अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड़ की ओर सूचनार्थ।
2. वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला राजनांदगांव

Scanned by CamScanner